संख्या : 12/2020/बी-1-706/दस-2020-231/2020

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं
वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनाँक : 09 दिसम्बर, 2020

विषय : वित्तीय वर्ष 2020-2021 की वित्तीय स्वीकृतियों से संबंधित शासनादेश दिनांक 03 दिसम्बर, 2020 के संबंध में स्पष्टीकरण ।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के बजट में प्रावधानित धनराशि के समक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनाँक 29 सितम्बर, 2020 के प्रस्तर-4 में संशोधन हेतु शासनादेश दिनाँक 03 दिसम्बर, 2020 जारी किया गया है ।

2- शासनादेश दिनाँक 03 दिसम्बर, 2020 द्वारा शासनादेश दिनाँक 29 सितम्बर, 2020 के प्रस्तर-4 को निम्नवत् संशोधित किया गया है -

"केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes) में प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि की पुष्टि वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता एवं वित्त आयोग) अनुभाग से कराने के उपरान्त केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष राज्यांश की वित्तीय स्वीकृतियाँ प्रशासकीय विभागों द्वारा स्वयं जारी की जायेंगी ।"

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त संशोधित व्यवस्था ऐसी केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं, जिनमें भवन निर्माण कार्य / अन्य निर्माण कार्य सम्मिलित है तथा प्रथम किश्त वित्त विभाग की सहमति से जारी की जा चुकी है, की अनुवर्ती किश्तें जारी करने के संबंध में लागू होगी ।

3- ऐसी केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें, जिनमें निर्माण कार्य सम्मिलित नहीं है और उनमें केन्द्रांश तथा उसके सापेक्ष राज्यांश की स्वीकृतियाँ जारी की जानी है ऐसी योजनाओं में केन्द्रांश एवं राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनाँक 24 मार्च, 2020 के प्रस्तर-2(12) एवं 2(13) के अनुसार जारी की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त शासनादेश दिनाँक 29 सितम्बर, 2020 के प्रस्तर-3 में मानक मद "24-वृहत् निर्माण कार्य" के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्थायें यथावत् लागू रहेंगी ।

भवदीय,

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त ।

संख्या : 12/2020/बी-1-706(1)/दस-2020-231/2020, तददिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2 महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
3 अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
4 प्रमुख सचिव, विधान परिषद् / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
5 वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अधिकारी / व्यय-नियंत्रण अनुभाग ।
6 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
7 समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
8 समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
9 समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ / वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
10 गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।